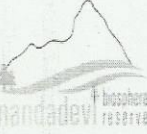


कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

वन मित्र कॉल सेंटर - 920 800 8000



पत्रांक- 3898 / 12-1 दिनांक 19 अप्रैल 2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित खजूरखाल-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.975 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/17042/2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद चमोली में प्रस्तावित खजूरखाल-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड़ मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार के प्रपत्र भाग-3 में आख्या अंकित कर, प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आन लाइन से प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

मुख्य वन संरक्षक / निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

पत्रांक 3898 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०एस० रसाईली)

मुख्य वन संरक्षक / निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

पत्रांक 3898 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि० गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०एस० रसाईली)

मुख्य वन संरक्षक / निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

OK

P.T.O.

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली में प्रस्तावित खजूरखाल-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड़ मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं*
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष बहुत कम संख्या में प्रभावित हो रहे हैं तथा इस क्षेत्र में घना बांज का वन नहीं है। अतः वन संरक्षक द्वारा मोटर मार्ग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय।

*नोट:- इस मोटर मार्ग के संरक्षण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष बहुत कम संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। अतः वन संरक्षक द्वारा मोटर मार्ग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

तिथि...19-4-16...

स्थान-गोपेश्वर।

(एस.एस.रसाईली)

मुख्य वन संरक्षक/निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।